

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प रिबिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 195

दिनांक : 23.11.2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री...अजयगोपाल.....पुत्र/पुत्री/पत्नी...चन्द्राभि.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम...महराणासर.....पटवार मण्डल...सोपनपीथी.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्...2021-74.....के खाता संख्या...60.115.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...विजयलाल पुत्र चन्द्राभि.....अंकित है जो बही सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से...अजयगोपाल पुत्र चन्द्राभि.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का...सोपनपीथी.....से करवाने पर पटवारी ने...विजयलाल पुत्र चन्द्राभि.....के
बजाय...अजयगोपाल पुत्र चन्द्राभि.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में...विजयलाल पुत्र चन्द्राभि.....
के बजाय...अजयगोपाल पुत्र चन्द्राभि.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम...महराणासर.....
के खाता संख्या...60.115.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति...विजयलाल पुत्र चन्द्राभि.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से...अजयगोपाल पुत्र चन्द्राभि.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
चूरु
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु



प्रति